

## राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

### आज्ञा

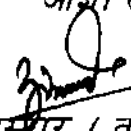
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1 138/2021

दिनांक :- 18.05.2021

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11. (3) न्याय/2002. दिनांक 08.09.2005 सपठित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम 91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम 30 दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रविष्टी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।

| क्र. सं. | नाम अधिकारी एवं पदनाम                                                 | समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या | ब्लॉक वर्ष  | समर्पित अवकाश की दिनांक |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1        | श्रीमती नीतू आर्य (RJ0447), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत (पाली)। | 30                               | 2020 - 2022 | 07/05/21                |

आज्ञा से,

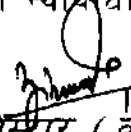
  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.वी.र(4)/80/2002/ 3246

दिनांक : 18.05.2021

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली।
3. श्रीमती नीतू आर्य (RJ0447), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत (पाली)।

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)  
17.05.21